न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 21/2017/विविध

रतनलाल पिता नारायणलाल तम्बोली –मृतक के बजाय
1. सुन्दरबाई पत्नि रतनलाल तम्बोली
2. चांदीबाई पुत्री रतनलाल तम्बोली
3. रमेशचन्द्र पिता रतनलाल तम्बोली
4. सुरेशचंद पिता रतनलाल तम्बोली
5. कौशल्यादेवी पत्नि सुरेशचन्द्र तम्बोली
   सभी निवासी गिलुण्ड तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता डालचंद तम्बोली
2. शांतिलाल पिता डालचंद तम्बोली
3. बबुलाल पिता डालचंद तम्बोली
   सभी निवासी गिलुण्ड तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 10.10.2017 प्र.सं. डी 133 ए/2015

उपस्थित – 1. श्री –राकेशपुरा गोस्वामी – अभिभाषक प्रार्थीगण
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण–अनुपस्थित

निर्णय दिनांक 27.03.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. बाबत् अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि माननीय न्ययालय आप मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण संख्या 133/2015 डी.ए. पर दर्ज हो विचाराधीन चल नही थी, उक्त अपील मे दिनांक 10/10/2017 को सुनवाई हेतु पेशी नियत की गई थी, माननीय न्यायालय मे दिनांक 10/10/2017 को डालचंद बनाम लाफार्ज एवं चैनराम बनाम लाफार्ज व अन्य कई अपीले अपीलान्ट अधिवक्ता की पेशी नियत रही है। दिनांक 10/10/2017 को अपीलान्ट की उक्त अनवान की अपील भी विचाराधीन रही है उसी रोज अन्य अपील डालचंद बनाम लाफार्ज व चैनराम लाफार्ज मे दिनांक 13/10/2017 की पेशी दी गई थी, प्रकरण डायरी मे उक्त अपील पेशी भी दिनांक 13/10/2017 अंकित कर दी गई, दिनांक 13/10/2017 को न्यायालय पुनः उपस्थित आने

पर जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 10/10/2017 को उक्त प्रकरण मे अपील मे अदम हाजरी मे खारीज कर दी गई है। इस प्रकार सहवन से दिनांक 13/10/2017 की पेशी नियत हो जाने से उसी दिनांक जानकारी प्राप्त होते ही नकल आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 25/10/2017 को प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त हुई है।

2. अपील अपीलान्ट के महत्वपूर्ण हक अधिकार से सम्बन्धित रही है और दिनांक 10/10/2017 को अन्य प्रकरणो मे पैरवी के उपरान्त उक्त अपील मे पेशी सहवन से दिनांक 13/10/2017 डायरी मे अंकित कर देने से अपील प्रकरण मे आवाज समय न्यायालय मे उपस्थित नही आया जा सका, इस प्रकार दिनांक 10/10/2017 को पारित आदेश अपास्त फरमाया जाकर अपील को पुनः ग्रहण किया जाना एवं गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र है कि अपीलान्ट वर्णिता अनुसार स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 10/10/2017 को पारित आदेश अपास्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करा अपील पुनःग्रहण कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने बयान किया कि दिनांक 10/10/2017 को अन्य प्रकरणो मे पैरवी के उपरान्त उक्त अपील मे पेशी सहवन से दिनांक 13/10/2017 डायरी मे अंकित कर देने से अपील प्रकरण मे आवाज के समय न्यायालय मे उपस्थित नही हो सका। अतः दिनांक 10/10/2017 को पारित आदेश अपास्त किया जाकर अपील को पुनः ग्रहण किया जाना तथा गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 अनुपस्थित रहे।

5. बहस एक पक्षीय सुनी गई। इस न्यायालय की मूल अपील की पत्रावली एवं पुनः ग्रहण प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि वकील अपीलार्थी द्वारा तारीख पेशी डायरी मे अंकित करने मे त्रुटि हो जाने के कारण निर्धारित तिथि को आवाज लगाये जाने पर न्यायालय मे उपस्थित नही हो सके। जिसके कारण न्याय हित मे वकील अपीलार्थी का अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनः ग्रहण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी दिनांक 06/11/2017 स्वीकार किया जाकर एवं मूल अपील संख्या 133/2015 पुनः सुनवाई मे ली जानी न्यायोचित है। फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 निमय 19 सीपीसी दिनांक 06/11/2017

स्वीकार करते हुए इस न्यायालय का मूल अपील संख्या 133/2015 मे पारित आदेश दिनांक 10/10/2017 अपास्त किया जाता है एवं अपील की पत्रावली को पुनः नम्बर/तारीख पेशी पर लिया जाता है। विविध प्रार्थना पत्र निर्णित होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ